


18/12 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं।  
न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई  
गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी/प्रार्थी  
उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर अदम हाजरी  
अदम पैरवी में खरिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम हो व दाखील दफतर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी